



न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)
पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 04/2017

बउनवान

बलखा पुत्र दुर्गा जाति बंजारा निवासी फतेहपुर उप तहसील हरनावदाशाहजी जिला बारां
(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्गे उप तहसीलदार, हरनावदाशाहजी जिला बारां

(रेस्पोजेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :- 1- पेरकार सरकार

(रेस्पोजेन्ट)

निर्णय दिनांक 21.11.2017

अपीलांट ने अपील अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, हरनावदा शाहजी के प्रकरण संख्या 504/2015 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 12.12.2015 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम बिलेण्डी की सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर सम्वत् 2072 मे खसरा नम्बर 426 की रकबा 1.00 बीघा भूमि पर फसल सोयाबीन बोकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर दो माह (60 दिन) की सिविल कारावास की सजा एवं 50/- रूपये शास्ति से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 02.02.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोजेन्ट को जर्गे नोटिस तलब कर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस के दौरान वकील अपीलांट एवं अपीलांट स्वयं अनुपस्थित रहने पर बहस पेरकार सरकार की सुनी गई।

दौराने बहस पेरकार सरकार ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल सोयाबीन बोकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को तामील प्रोपर करवाई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे अनुपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा पूर्व मे भी अतिक्रमण किया गया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना में पटवारी हल्का द्वारा बेदखल किया जाना बयान पटवारी से प्रमाणित है। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2072 मे किया गया, अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है। पत्रावली मे अतिक्रमित रकबा कम है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अपीलांट की सजा माफ की जा सकती है।

हमने पेरकार सरकार के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार हरनावदाशाहजी द्वारा प्रकरण संख्या 504/2015

मे पारित आदेश दिनांक 12.12.2015 मे बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांट को उक्त आदेश से दी गई सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है, कि अपीलांट यदि अतिक्रमित आराजी वाके ग्राम बिलेण्डी की सरकारी भूमि किस्म चारागाह खसरा नम्बर 426 की रकबा 1.00 बीघा से कब्जा छोड दे एवं शास्ति राशि जमा करा दे, तो उप तहसीलदार, हरनावदाशाहजी द्वारा प्रकरण संख्या 504/2015 मे अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित आदेश दिनांक 12.12.2015 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, हरनावदा शाहजी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2015 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2017 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
अति० जिला कलक्टर,
बारां